न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 69 / 2010

निर्णय दिनांक 10-3-2021

धनराज पुत्र पुराराम जाति ब्राह्मण निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी सिविल कोर्ट के पास सुरतगढ़ जिला गंगानगर (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956

यह प्रार्थना पत्र धनराज द्वारा जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है जो हाल सिविल कोर्ट के पास सुरतगढ़ जिला गंगानगर (राज.) में निवास करता है जिसका सही नाम धनराज पुत्र पुराराम जाति ब्राह्मण निवासी रीड़ी है तथा प्रार्थी का धनराज नाम ही समस्त दस्तावेज जैसे मतदाता सूचि, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी व अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि रोही ग्राम रीड़ी में खेत खसरा नंबर 219 एवं 923 स्थित थी। उक्त कृषि भूमि शनै–शनै विभाजित होने के कारण खेत खसरा नंबर 923 के नये खेत खसरा नंबर 1171 रकबा 3.29 हैक्टेयर कायम किये गये एवं खेत खसरा नंबर 219 का विभाजन होने पर खसरा नंबर 1525 / 219 कायम होने के बाद नये खेत खसरा नंबर 2144 / 2141 रकबा 2.4721 कायम किये गये जो कि सही कायम किये गये। राजस्व रिकॉर्ड कायम करते समय प्रार्थी का बोलता नाम धन्नाराम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम धनराज है जो कि समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपना सही नाम धनराज पुत्र पुराराम जाति ब्राह्मण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने की जानकारी प्रार्थी को तब हुई जब प्रार्थी ने अपने हिस्सा की भूमि पर किसान केडित कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई। यह है कि भूलवश हुई लिपिकीय त्रूटी को दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ से सम्पर्क कर नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया तो तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही मानते हुये सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थना पत्र रोही ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ का होने से श्रीमानजी के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उचित न्यायशुल्क एवं इन्कारी के अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जैरकार खेत खसरा नंबर 2144 / 2141 व खेत खसरा नंबर 1171 रोही ग्राम रीड़ी में दर्ज प्रार्थी का नाम धन्नाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर धनराज पुत्र पुराराम दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि रोही ग्राम रीडी के खसरा नम्बर 1171 पर श्रीमान राजस्व मण्डल का स्थगन अतः यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित है एवं खसरा नम्बर 2144 / 2141 में धनाराम के स्थान पर धनराज किया जाना उचित है। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को खसरा नम्बर 2144 / 2141 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:58 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा नंबर 2144 / 2141 रोही ग्राम [illegible] दर्ज प्रार्थी का नाम धन्नाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर शुद्ध नाम धनराज पुत्र पुराराम नाम शुद्ध करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करे।

आदेश आज दिनांक 10.3.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित [illegible] जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़